**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या - 921**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्तर**

**पैक किए गए खाद्य उत्पादों की अनिवार्य जांच**

921. **श्री टी के रंगराजन:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि:

(क) क्या सरकार पैक किए गए सभी खाद्य उत्पादों की अनिवार्य जांच से सहमत है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में ऐसे उत्पादों के विपणन से पहले भारतीय जांच प्रयोगशालाओं में उनकी जांच से भी सहमत है?

**उत्तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण राज्यमंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क) और (ख): खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यापार की लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 में निर्धारित लाइसेंस की शर्त के अनुसार सभी खाद्य व्यापार आपरेटरों को ऐतिहासिक आंकड़ों और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर इन विनियमों के अनुसार खाद्य उत्पादों में संगत रसायनिक और/या माइक्रोबायोलाजिकल संदूषकों के परीक्षण को सुनिश्चित करना होता है ताकि छह माह में कम से कम एक बार प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करने वाली निजी या एनएबीएल प्रत्यायित/भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के माध्यम से सुरक्षित खाद्य का उत्पादन और प्रदानगी सुनिश्चित हो सके। देश में प्रत्येक खाद्य व्यापार आपरेटर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम एवं उसके तहत बनाए गए विनियमों का अनुसरण और अनुपालन करना होगा।

इसके अलावा, खाद्य उत्पादों की लगभग 365 श्रेणियों के संबंध में खाद्य वस्तुओं के सुरक्षा मानकों को अधिसूचित किया गया हैं। इन मानकों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा विभागों द्वारा लागू किया जाता है।

\*\*\*\*\*